

बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत के समक्ष चुनौतियों के समाधान में ग्राम पंचायतों की भूमिका: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

DOI- 10.5281/zenodo.19326086

मौ. सुलेमान

शोधार्थी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
गुलाब सिंह हिंदू (पी०जी०) कॉलेज
चांदपुर - स्याऊ, बिजनौर (उत्तर प्रदेश)
ईमेल:suleman.rza15@gmail.com मो:8510889925

प्रोफेसर (डॉ०) दिनेश सिंह

शोध पर्यवेक्षक एवं प्रभारी
राजनीति विज्ञान विभाग,
गुलाब सिंह हिंदू (पी०जी०) कॉलेज
चांदपुर - स्याऊ, बिजनौर (उत्तर प्रदेश)
ईमेल:drdineshsingh009@gmail.com मो: 9456283738

शोध सार—वर्तमान समय में वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी क्रांति, आर्थिक असमानता तथा सतत विकास से जुड़ी चुनौतियाँ विश्व के साथ-साथ भारत के समक्ष भी गंभीर रूप से उपस्थित हैं। इन चुनौतियों का प्रभाव विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर दिखाई देता है, जहाँ आजीविका, संसाधन प्रबंधन, डिजिटल समावेशन तथा सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित अनेक समस्याएँ उभर रही हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्रदान करने वाला 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास, जनभागीदारी तथा स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। यह अध्ययन बदलते वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण बेरोजगारी, डिजिटल विभाजन तथा सतत विकास के समाधान में ग्राम पंचायतों की भूमिका का विश्लेषण करता है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) परिवर्तित नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, तथा डिजिटल इंडिया पहल के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी स्थानीय स्तर पर विकास की प्रक्रिया को गति देती है। उदाहरण के रूप में कई राज्यों में जल संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी तथा स्थानीय रोजगार सृजन की योजनाओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों ने सतत विकास की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यह शोध मुख्यतः विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है, जिसमें उपलब्ध साहित्य, सरकारी रिपोर्टें तथा स्थानीय शासन से संबंधित अनुभवजन्य तथ्यों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन यह दर्शाता है कि यदि ग्राम पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक स्वायत्तता तथा तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, तो वे वैश्विक चुनौतियों के स्थानीय समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अतः भारत में समावेशी एवं सतत विकास की दिशा में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है।

मुख्य शब्द: ग्राम पंचायत, वैश्विक परिदृश्य, ग्रामीण विकास, स्थानीय शासन, सतत विकास।

1. भूमिका - इक्कीसवीं सदी में वैश्विक स्तर पर तीव्र सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल क्रांति, आर्थिक असमानता, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास जैसी चुनौतियाँ आज विश्व समुदाय के समक्ष प्रमुख मुद्दों के रूप में उभर कर सामने आई हैं। इन वैश्विक परिवर्तनों का प्रभाव भारत जैसे विकासशील देशों पर विशेष रूप से देखा जा सकता है, जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा (जनगणना 2011 के अनुसार 68.8 %) आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और जिसकी आजीविका मुख्यतः कृषि एवं स्थानीय संसाधनों पर आधारित है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य भी यह संकेत देते हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी समाधान तभी संभव है जब विकास की प्रक्रिया स्थानीय स्तर तक पहुँचे और उसमें जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए।

भारत में स्थानीय स्वशासन की परंपरा प्राचीन काल से रही है, किंतु आधुनिक लोकतांत्रिक ढाँचे में इसे सशक्त रूप 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से प्राप्त हुआ। इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई तथा ग्राम पंचायतों को स्थानीय शासन की आधारभूत इकाई के रूप में स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान समय में जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, तब ग्राम पंचायतों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, कृषि संकट, बेरोजगारी, डिजिटल विभाजन तथा सामाजिक असमानता जैसी समस्याएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के अनिश्चित पैटर्न और जल संकट ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की ग्राम पंचायतों ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्थानीय समाधान विकसित किए हैं। इसी प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम परिवर्तित नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के माध्यम से ग्राम पंचायतों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इन्हीं संदर्भों में उक्त शोध अध्ययन बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के समाधान में ग्राम पंचायतों की भूमिका का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि स्थानीय शासन की संस्थाएँ किस प्रकार ग्रामीण विकास को गति दे सकती हैं तथा वैश्विक स्तर पर उभर रही चुनौतियों के समाधान में स्थानीय स्तर पर व्यावहारिक और प्रभावी योगदान प्रदान कर विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

2. बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

(i) जलवायु परिवर्तन: वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन भारत सहित समूचे विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। अनियमित वर्षा, बढ़ता तापमान, सूखा, बाढ़ तथा प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत की एक बड़ी जनसंख्या आज भी कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन

के कारण कृषि उत्पादन में अनिश्चितता बढ़ी है, जिससे किसानों की आय और ग्रामीण आजीविका प्रभावित हो रही है। अंतर-सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC, 2021) की रिपोर्ट भी यह संकेत देती है कि विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ग्रामीण समुदायों पर अधिक गहरा पड़ता है।

(ii) आर्थिक असमानता: आर्थिक असमानता भी वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। वैश्वीकरण और आर्थिक विकास के बावजूद समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय और संसाधनों के वितरण में असंतुलन देखा जा रहा है। भारत में यह असमानता विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित रोजगार अवसर, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता तथा संसाधनों की कमी के कारण आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रहती है। विश्व असमानता रिपोर्ट (World Inequality Report, 2022) के अनुसार आय और संपत्ति के वितरण में बढ़ती असमानता सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न कर सकती है। इसलिए समावेशी विकास को सुनिश्चित करना भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है।

(iii) डिजिटल विभाजन: डिजिटल क्रांति ने विश्व स्तर पर शासन, शिक्षा, व्यापार और संचार के स्वरूप को व्यापक रूप से बदल दिया है, किंतु इसके लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाए हैं। भारत में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता तथा तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण डिजिटल विभाजन की समस्या स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार के बावजूद कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी डिजिटल अवसंरचना और तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव है। नीति आयोग की रिपोर्ट 2022 के अनुसार डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना ग्रामीण विकास और सुशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिजिटल माध्यमों के द्वारा सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता में वृद्धि संभव है।

(iv) ग्रामीण बेरोजगारी: ग्रामीण बेरोजगारी भारत की एक प्रमुख सामाजिक-आर्थिक समस्या है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भूमि के सीमित संसाधन, औद्योगिक विकास का अभाव तथा कौशल विकास की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में ग्रामीण युवाओं का शहरों की ओर पलायन होता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा महात्मा मनरेगा जैसी योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराना तथा आधारभूत संरचना का विकास करना है।

(v) सतत विकास की चुनौती: विकास की प्रक्रिया को पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक न्याय के साथ आगे बढ़ाना आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तीव्र औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन तथा पर्यावरणीय क्षरण के कारण सतत विकास (Sustainable Development) की अवधारणा वैश्विक स्तर पर प्रमुख नीति एजेंडा बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (SDGs) इस दिशा में वैश्विक प्रयासों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है (United Nations, 2015)। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह चुनौती और भी जटिल है, क्योंकि यहाँ आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक समावेशन के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय संसाधनों का संरक्षण, सामुदायिक भागीदारी और विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

3. इन चुनौतियों के समाधान में ग्राम पंचायतों की भूमिका

(i) ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन: भारत में ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आधारभूत इकाई के रूप में कार्य करती हैं। 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके बाद ग्राम पंचायतों को स्थानीय विकास योजनाओं के संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्तमान समय में ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के माध्यम से पंचायतें अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार वार्षिक विकास योजनाएँ तैयार करती हैं, जिनमें आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सामाजिक कल्याण से जुड़े कार्य शामिल होते हैं। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय (2023) के अनुसार देश में लगभग 2.6 लाख ग्राम पंचायतें स्थानीय विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे विकास प्रक्रिया में स्थानीय आवश्यकताओं और जनसहभागिता को प्राथमिकता मिलती है।

(ii) मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और डिजिटल सेवाओं का संचालन: ग्राम पंचायतें केंद्र और राज्य सरकार की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने, कार्यों का चयन करने तथा मजदूरी भुगतान की निगरानी का दायित्व पंचायतों पर होता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (केन्द्र) के अनुसार वर्ष 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, जिसमें पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत शौचालय निर्माण और स्वच्छता जागरूकता अभियान को ग्राम पंचायतों के माध्यम से व्यापक स्तर पर लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2019 में भारत को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया (ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2019)। इसके अतिरिक्त डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन प्रमाण पत्र, ई-गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवा केंद्रों (CSC) के माध्यम से नागरिक सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है।

(iii) जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण: जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन की चुनौतियों के समाधान में भी ग्राम पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, वृक्षारोपण तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़े अनेक कार्य पंचायतों के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र के हिवरे बाजार गाँव को जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के सफल आदर्श मॉडल के रूप में देखा जाता है, जहाँ ग्राम पंचायत के नेतृत्व में जल संचयन, वृक्षारोपण और संसाधन प्रबंधन के प्रयासों से गाँव की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ (Planning Commission Report, 2013)। इसी प्रकार कई राज्यों में मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण सड़कों का निर्माण, तालाबों का निर्माण, जल संचयन संरचनाओं का विकास तथा भूमि संरक्षण कार्य किए गए हैं, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायता मिली है।

(iv) स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में भी ग्राम पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पंचायतें स्थानीय संसाधनों के आधार पर लघु उद्योग, कृषि आधारित गतिविधियों तथा स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) को प्रोत्साहित करती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को पंचायतों के माध्यम से संगठित किया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में सहायता मिली है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट (2022) के अनुसार देश में लगभग 8 करोड़ से अधिक महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों से प्रत्यक्ष

रूप से जुड़ी हुई हैं, जो स्थानीय स्तर पर उद्यमिता और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

(v) **सामाजिक समरसता और जनभागीदारी को बढ़ावा:** ग्राम पंचायतें केवल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक भागीदारी को भी मजबूत करती हैं। पंचायत स्तर पर आयोजित ग्राम सभाएँ स्थानीय नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर प्रदान करती हैं। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार ग्राम सभा स्थानीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण मंच है, जहाँ विकास योजनाओं पर चर्चा, सामाजिक लेखा परीक्षा (Social Audit) तथा जनसमस्याओं के समाधान की प्रक्रिया संचालित होती है (Ministry of Panchayati Raj, 2023)। इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है तथा स्थानीय समुदाय में सहयोग और सहभागिता की भावना विकसित होती है।

4. सुझाव - बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के समाधान के लिए ग्राम पंचायतों को केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित न रखकर उन्हें स्थानीय विकास के नवाचारी केंद्र (Local Development Innovation Centres) के रूप में विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित व्यावहारिक एवं क्रियान्वित किए जा सकने वाले सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं—

(i) **“ग्राम इनोवेशन लैब” मॉडल की स्थापना:** प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम इनोवेशन लैब (Village Innovation Lab) स्थापित की जा सकती है, जिसका उद्देश्य स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय स्तर पर समाधान विकसित करना होगा। इस लैब में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ-साथ स्थानीय शिक्षक, युवा, स्वयं सहायता समूह, कृषि विशेषज्ञ और तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सकता है। यह मंच गाँव की प्रमुख समस्याओं जैसे जल संकट, कृषि उत्पादकता, अपशिष्ट प्रबंधन, स्थानीय रोजगार और डिजिटल सेवाओं पर विचार कर व्यावहारिक समाधान विकसित करेगा। उदाहरण के रूप में कर्नाटक और केरल में स्थानीय स्तर पर सामुदायिक नवाचार परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण समस्याओं के समाधान विकसित किए गए हैं। यदि इस मॉडल को पंचायत स्तर पर संस्थागत रूप दिया जाए तो ग्रामीण विकास में स्थानीय ज्ञान और नवाचार का प्रभावी उपयोग संभव हो सकेगा।

(ii) **“ग्राम डेटा बैंक एवं साक्ष्य आधारित योजना प्रणाली” (Evidence-Based Planning):** ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम डेटा बैंक विकसित किया जाना चाहिए। इसमें गाँव के प्रत्येक परिवार से संबंधित सामाजिक-आर्थिक जानकारी जैसे आय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि स्वामित्व और कौशल का व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए। इस डेटा के आधार पर पंचायतें ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को अधिक सटीक और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकती हैं। केरल राज्य में स्थानीय निकायों द्वारा डेटा आधारित योजना निर्माण की पहल को सफल माना गया है (Kerala State Planning Board, 2019)। यदि इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए तो ग्रामीण विकास योजनाएँ अधिक लक्ष्यित और परिणामोन्मुख हो सकती हैं।

(iii) **“ग्राम रोजगार क्लस्टर” मॉडल:** ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के प्रभावी समाधान के लिए पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार क्लस्टर (Village Employment Cluster) विकसित किए जा सकते हैं। इसमें एक पंचायत या आसपास की पंचायतों के समूह में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के आधार पर छोटे उद्योगों और आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए। उदाहरण के लिए कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ, डेयरी, मधुमक्खी पालन, हस्तशिल्प, जैविक खेती

और ग्रामीण पर्यटन जैसी गतिविधियाँ पंचायत स्तर पर संगठित की जा सकती हैं। भारत में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के माध्यम से कई क्षेत्रों में ऐसे मॉडल सफलतापूर्वक विकसित किए गए हैं। पंचायत यदि स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करे और बाजार से जोड़ने की व्यवस्था विकसित करे, तो यह मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

(iv) **“डिजिटल पारदर्शिता बोर्ड” और सामाजिक जवाबदेही प्रणाली:** पंचायत शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में डिजिटल पारदर्शिता बोर्ड (Village Transparency Dashboard) स्थापित किया जा सकता है। इस प्रणाली के अंतर्गत पंचायत के बजट, योजनाओं, विकास कार्यों, लाभार्थियों की सूची तथा व्यय से संबंधित सभी जानकारी सार्वजनिक रूप से डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित की जाए। पंचायत भवन या सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से यह जानकारी प्रदर्शित की जा सकती है, साथ ही इसे ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे नागरिकों को पंचायत कार्यों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी और सामाजिक निगरानी की प्रक्रिया मजबूत होगी। विश्व बैंक की रिपोर्टों में भी स्थानीय शासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल सूचना प्रणाली को प्रभावी उपाय माना गया है (World Bank, 2019)।

(v) **“जल-ऊर्जा आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत” मॉडल:** जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों को जल और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अंतर्गत पंचायत स्तर पर वर्षा जल संचयन, तालाबों का पुनर्जीवन, सामुदायिक सौर ऊर्जा परियोजनाएँ और ऊर्जा-कुशल पंचायत भवन विकसित किए जा सकते हैं। भारत के कई राज्यों में सौर ऊर्जा आधारित पंप और पंचायत भवन स्थापित किए गए हैं, जिन्हें व्यापक स्तर पर अपनाया जा सकता है (Ministry of New and Renewable Energy, 2022)। यदि पंचायत स्तर पर जल संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए तो यह न केवल पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में सहायक होगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा और जल सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।

(vi) **“ग्राम नेतृत्व एवं नीति विद्यालय-ग्राम पंचायतों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम प्रधानों के लिए ग्राम नेतृत्व एवं नीति विद्यालय (Village Leadership School) की स्थापना की जा सकती है। इस संस्थान का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासनिक प्रबंधन, डिजिटल शासन, वित्तीय योजना, सामाजिक समावेशन और सतत विकास से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विश्वविद्यालयों, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इससे पंचायत प्रतिनिधियों की नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी तथा वे स्थानीय शासन को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकेंगे।**

5. निष्कर्ष -वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर तेजी से हो रहे सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय परिवर्तनों ने भारत सहित पूरे विश्व के सामने अनेक नई चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, डिजिटल विभाजन, ग्रामीण बेरोजगारी तथा सतत विकास से संबंधित समस्याएँ विशेष रूप से ग्रामीण समाज को प्रभावित कर रही हैं। उक्त चुनौतियों का प्रभावी और त्वरित समाधान केवल राष्ट्रीय या राज्य स्तर की नीतियों से ही सम्भव नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर सशक्त और उत्तरदायी शासन व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में भारत की पंचायती राज प्रणाली, विशेष रूप से ग्राम पंचायतें,

स्थानीय विकास और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आधारभूत इकाई के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि ग्राम पंचायतों के समक्ष वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रशासनिक हस्तक्षेप, तकनीकी संसाधनों का अभाव तथा प्रशिक्षण की सीमित व्यवस्था जैसी कई चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जिनके कारण पंचायतों की संभावित भूमिका पूरी तरह से सामने नहीं आ पाती। इसलिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की जाए, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की व्यवस्था की जाए तथा डिजिटल शासन और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ग्राम इनोवेशन लैब, ग्राम डेटा बैंक, ग्राम रोजगार क्लस्टर और डिजिटल पारदर्शिता बोर्ड जैसे नवाचारी मॉडल विकसित किए जा सकते हैं। ये पहले स्थानीय संसाधनों, जनभागीदारी और तकनीकी नवाचार को एक साथ जोड़कर पंचायत शासन को अधिक प्रभावी बना सकती हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यदि ग्राम पंचायतों को पर्याप्त संसाधन, अधिकार और संस्थागत समर्थन प्रदान किया जाए तो वे न केवल ग्रामीण विकास को गति दे सकती हैं, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के समाधान में भी महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं।

संदर्भ-

1. Government of India. (1992). The Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992. Ministry of Law and Justice. New Delhi <https://panchayat.gov.in/en/document/73rd-constitutional-amendment-act-1992/>
2. Finance Commission of India. (2021). Report of the Fifteenth Finance Commission (2021-2026). Government of India. Official report: <https://fincomindia.nic.in>
3. Ministry of Panchayati Raj. (2024). Annual Report 2024-25. Government of India. https://cdnbbsr.s3.waas.gov.in/s316026d60ff9b54410b3435b403afd226/uploads/2025/02/20250219868964551.pdf?utm_source=chatgpt.com
4. Ministry of Rural Development. (2023). Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) Annual Report <https://www.dord.gov.in/static/uploads/2024/02/f13c435389b9dc6ec6aa4b647fc11614.pdf>
5. Ministry of Panchayati Raj. (2022). Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan: Capacity Building of Panchayats Report. <https://panchayat.gov.in>
6. NITI Aayog. (2022). Governance and Rural Development Report. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-02/Annual-Report-2022-2023-English_1.pdf
7. Artificial Intelligence (AI) Transforming Rural India <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2231706®=3&lang=2>
8. United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
9. World Bank. (2022). Social accountability and local governance in India. (Social Accountability And Service Delivery Effectiveness:). <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099534209302293819/pdf/IDU0aff7666c06b8804bc00a9170ce2d26867056.pdf>
10. UNDP. (2020). Local governance innovation report. <https://www.undp.org>
11. IPCC. (2021). Climate change 2021: The physical science basis. Cambridge University Press. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>
12. World Inequality Lab. (2022). World inequality report 2022. Harvard University Press. <https://wir2022.wid.world>
13. Kerala State Planning Board. (2019). Local government data-based planning report. <https://spb.kerala.gov.in>
14. Mathew, G. (2000). Panchayati Raj Institutions and Human Rights in India <https://www.jstor.org/stable/4413076>
15. Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2006). Decentralization and Local Governance in Developing Countries. MIT Press. <https://direct.mit.edu/books/edited-volume/2386/Decentralization-and-Local-Governance-in>
16. Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
17. https://kuangaliablog.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/07/amartya_kumar_sen_development_as_freedombookfi.pdf

वीरेन्द्र जैन के उपन्यासों में चरित्र- चित्रण

जोषी सुनिलकुमार भावेशभाई

पीएच.डी. शोधार्थी

गोविन्द गुरु विश्वविद्यालय, गोधरा (गुजरात)

डाक पता- अक्ष पार्क, सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय के पास, आनंदनगर रोड, नखत्राणा-३७०६१५, तहसील- नखत्राणा, जिला- कच्छ (गुजरात) मो-८१४१८१८१२३

पात्र योजना में प्रमुख रूप से दो शिल्प विधियों को देखा जा सकता है,- १) वर्णनात्मक २) विश्लेषणात्मक. वर्णनात्मक शिल्प विधि में लेखक स्वतंत्र और आसानी से लिखनी चलाता है, उसमें पात्र के बाहरी स्वरूप का विस्तृत वर्णन होता है।

कभी-कभार उपन्यासकार की विचार शक्ति पात्रों को हकीकत में बदल देती है और वह पात्र संवेदना और सहानुभूति से होकर भावात्मक जुड़ाव महसूस करता है, जैसे हमारे आसपास वह सब घटित हो रहा हो। विश्लेषणात्मक शैली का उपयोग मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें पात्रों के ज्यादातर मन के भाव जीवन में आने वाली चुनौतियाँ और मानसिक स्थितियों का चित्रण किया जाता है।

'सबसे बड़ा सिपहिया' उपन्यास के चरित्र सत्य की धरातल से उभरे सामाजिक चरित्र हैं। हर एक चरित्र अपने आप में जिम्मेदार दिखता है। सभी पात्र अपने अस्तित्व को छोड़कर मानो सिपहिया बन चुके हो ऐसा इस उपन्यास में प्रतीत होता है। सभी वर्दीधारी में एक पत्रकार का पात्र होता है, जो सत्य की राह पर चलने वाला ईमानदार चरित्र होता है। ड्यूटी ऑफिसर (डी.ओ) यूनिफॉर्म पहने रौब नहीं जमाता, उतना तो यूनिफॉर्म पहने बिना ही दिखता है, परंतु यथार्थ की धरा पर ऐसा नहीं देखने मिलता। प्रत्येक इंसान को गुनहगार की नजरों से नहीं देखा जा सकता है।

इस उपन्यास में जैनजी ने पात्रालेखन बड़ी गहराई से किया है। इससे चरित्रों में सजीवता देखने मिलती है। वर्दीधारी के कर्तव्य, गतिविधियाँ, जिम्मेदारियाँ और निष्ठा सभी का अस्वीकार करते अपनी क्षमता का अनुचित उपयोग करते दिखाया गया है। पुलिस के आचरण के साथ-साथ सामान्य जनता के हक और कानून की धजियाँ उड़ाते तथा अभद्र भाषा का प्रयोग करके जनता को भयभीत कर निर्दयता की जानकारी दी है। उपन्यास का प्रधान पात्र पत्रकार आनंद 'सागर' पत्रिका का उपसंपादक होता है। "अपने संस्थान की प्रमुख पत्रिका 'सागर' के लिए उसने पिछले सप्ताह अपने प्रदेश में आए नए ओ.जी. पुलिस का इंटरव्यू लिया था।" (१)

एक दिन पत्रकार आनंद के घर में चोरी होती है, वह थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाता है। पुलिस स्टेशन में अपनी पहचान 'पत्रकार' न देकर सामान्य नागरिक बताता है, तब से उसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। थाने में रिपोर्ट न लिखकर, उससे घूस लेने के प्रयत्न किए जाते हैं। इस बीच कुछ घटनाएँ थाने में आनंद देखता है, तब पूरे दिन थाने में बैठकर उसे पुलिस की कथनी और करनी में अंतर दिखता है। बाद में उसे धन की लालच देकर उसकी इमानदारी खरीदने का प्रयत्न होता है, लेकिन उसमें विफलता मिलती है।

सच्चा पत्रकार जो अपने कर्तव्य पथ पर चलने वाला होता है, उस पत्रकार को मवालियों के द्वारा पिटाया जाता है। उसे चरित्रहीन भी बताया जाता है, उसे जबरन दस्तखत करने पड़ते हैं तथा आई.जी पुलिस अफसर एक मीडिया कार्यक्रम में नाटकीय रूप से उसकी गलतियों को क्षमा करके सार्वजनिक सूचना देते हैं। अंत में पत्रकार आनंद पुलिस के